श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, नियम 115 किसी गलती को ठीक करने के बारे में है। यह एक गलती नहीं थी। सदन को गुमराह करने के लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सन्तुष्ट हूं और मैं आपसे बातचीत करूंगा। यह कोई समस्या नहीं है।

[हिंदी]

आने सैशन आपना, उसमें देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : 'इण्डियन एक्सप्रेस' के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय। इसकी देखरेख उपाध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और वे सभी प्रकाशित कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह बताया है कि इसका सम्बन्ध मेरे से है इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैं केवल आपके प्रति जवाबदेह हूं।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : महोदय, विशेषाधिकार समिति की निंदा करने के लिए श्री किशोर चन्द्र देव के विरुद्ध मैंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। उनके शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने यह कहा है कि विशेषाधिकार समिति दूर भाग गई।.....अतः कृपया आप इस बारे में कार्यवाही कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव गांधी

[हिंदी]

अभी आया है, क्या कर सकते हैं।

11.27 अ.प.

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक*

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

महोदय, भारत के लोगों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम की सबसे बड़ी देन लोकतन्त्र है। स्वतन्त्रता के फलस्वरूप हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ, लोकतन्त्र से हमारे लोग स्वतन्त्र हुए। स्वतन्त्र लोग वे होते हैं जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। स्वतन्त्र लोग अपनी इच्छा और सहमति द्वारा शासित होते हैं। स्वतन्त्र लोग अपने जीवन और भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

गांधी जी का विश्वास था कि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता की नींव भारत के प्रत्येक गांव में

*दिनांक 15.5.89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

स्वायत्त शासन के द्वारा रखी जानी चाहिये। उन्होंने इसकी प्रेरणा और संकल्पना भारत के परम्परागत ग्राम गणतन्त्रों, पंचायतों से ग्रहण की थी। ग्रामीण भारत में विकास के प्रमुख साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना पण्डित जी द्वारा की गई थी। इन्दिराजी ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में लोगों की भागेदारी की आवश्यकता पर बल दिया था।

फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के अधिकतर भागों में 30 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं में व्यक्त अपनी आशाओं को पूरा करने में हम असफल रहे हैं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं। प्रायः चुनावों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और उन्हें बार-बार स्थगित किया जाता है। यह राजनैतिक मंशा का मामला नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने का सर्वश्रेष्ठ रिकार्ड दो राज्य सरकारों का है जिनमें पंचायती राज लागू होने के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है। ये राज्य हैं—गुजरात और महाराष्ट्र। (व्यवधान)

हाल ही में... (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : उत्तर प्रदेश का क्या रिकार्ड है? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप अगला वाक्य सुनिए (व्यवधान)

महोदय, हाल ही में, कुछ राज्यों की सरकारों ने जहां विपक्षी दलों—जैसे पश्चिम बंगाल में सी० पी० आई (एम) आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम और कर्नाटक में जनता पार्टी का शासन है, समय पर चुनाव सम्पन्न कराए हैं। अन्य राज्यों में...

कुछ माननीय सदस्य : त्रिपुरा का नाम भी लीजिये।

श्री राजीव गांधी : अन्य राज्यों में, गैर-कांग्रेस पार्टियों और संयुक्त सरकारों का रिकार्ड कांग्रेस-शासित राज्यों की सरकारों से बहुत अच्छा नहीं है, यह राजनैतिक पार्टियों का मामला नहीं है।

लोकतन्त्र का आधार चुनाव हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अत्यधिक अनियमित एवं अनिश्चित हैं। संविधान में इनके लिए अनिवार्य उपबन्ध किया गया है। राज्य के विधान में सार्विधिक उपबन्ध की इतनी वेदना नहीं है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उपबन्ध करना है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार देश के कुछ भागों में पंचायती राज में व्याप्त अन्य कमियों को दूर करना भी है जैसे पंचायतों को निरन्तर निलम्बित या भंग रखना। वर्तमान व्यवस्था में चुनाव द्वारा युक्तिसंगत अवधि के भीतर पंचायतों के पुनर्गठन हेतु कोई बाध्यकारी उपबन्ध नहीं है इसलिए स्थगित की गई पंचायतें वर्षों तक निलम्बित रहती हैं और भंग पंचायतें एक दशक या इससे भी अधिक समय तक भंग रही है। इस विषय पर वर्तमान नगरपालिका कानून में राज्य विधान मण्डलों ने कार्यपालिका को पंचायती राज संस्थानों को भंग करने और इनके पुनर्गठन में विलम्ब करने के इतने व्यापक अधिकार दे दिए हैं कि ये संस्थाएं जन आकांक्षाओं के एक प्रतिनिधि मंच के रूप में उभरने में असमर्थ रही है। इनका अस्तित्व जनसमर्थन की अपेक्षा राज्य सरकारों की इच्छा पर अधिक निर्भर करता है।

हमारे विधेयक के अनुसार, यह पता लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है कि किन आधारों और शर्तों पर पंचायतों को निलम्बित या भंग किया जाए। हम राज्य विधानमण्डलों से

आशा करते हैं कि वे बताएं कि किस आधार पर राज्यपाल किसी पंचायत को निलम्बित या भंग कर सकता है. यह मामला राज्यपाल से सम्बन्धित है जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भंग पंचायत का पुनर्गठन एक उचित समय के भीतर कर दिया जाए। हमारा विधेयक समय से पहले भंग की गई सभी पंचायतों के लिए उनके भंग किए जाने के छह माह के भीतर व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग चुनाव द्वारा पुनर्गठित किए जाने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाएगा कि वे अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकें।

अब पंचायतों के साथ कार्यकारी शक्तियों के मनमाने ढंग से इस्तेमाल द्वारा खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। जनता स्वयं पुनर्गठित पंचायत के माध्यम से कुछ महीनों के भीतर अपना भविष्य निर्धारित करेगी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं का गठन जनता व्यस्क मताधिकार के इस्तेमाल से होगा। संविधान ही यह सुनिश्चित करता है कि किसी विधानसभा के भंग किए जाने पर, संविधान में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं समय सीमा के भीतर इसका पुनर्गठन किया जाए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति एवं सक्रियता को सुनिश्चित करने के यही अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में शक्ति और सक्रियता का अभाव है क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से उनके लिए सुरक्षा उपायों का उपबन्ध नहीं किया गया है। हमारा विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायती राज का लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की भांति लोकतांत्रिक स्वरूप है और जन-प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में उनके कार्यकरण को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो।

भारत में लोकतन्त्र के उदय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी संविधान तैयार करना, जिसके संसद और राज्य विधानमण्डलों में लोकतन्त्र कायम हुआ। यह ऐतिहासिक क्रान्तिकारी विधेयक उसी महत्वपूर्ण घटना के अनुक्रम में एक कदम है जिसके द्वारा संविधान में निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अंगीकार किया जाएगा। अब तक हमारे लोकतन्त्र की संरचना में कमियां रही हैं क्योंकि यद्यपि इसका ऊपर का ढांचा बहुत मजबूत है परन्तु नींव कमजोर है। संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधान मण्डलों को मिलाकर हमारे देश की लगभग 80 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व केवल पाँच-छह हजार व्यक्ति कर रहे हैं। इसके दो गम्भीर परिणाम निकले हैं।

पहला परिणाम यह निकला है कि लोकतन्त्र की सुस्थापित संस्थाओं में निर्वाचित पदों पर आसीन व्यक्तियों की संख्या हमारे मतदाताओं की तुलना में बहुत कम है। पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो जाने के बाद आज जो महत्व संसद और राज्य विधानमण्डलों का है, वही महत्व उन सात लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों का होगा जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में भाग लेंगे। लोकतन्त्र व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व लगभग 115 गुना बढ़ जाएगा।

इस विशाल अन्तर का एक दूसरा हानिकर परिणाम है जो सामान्य मतदाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को परस्पर अलग करता है। इस अन्तर का लाभ सत्ता के दलाल, बिचौलिये और स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। नगर पालिका से सम्बन्धित छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, उपयुक्त सम्बन्धों वाले व्यक्तियों को तलाश करना पड़ता है जो दूर बैठे प्राधिकारियों से उनकी सिफारिश करे। समस्त प्रणाली सत्ता के दलालों की जकड़ में है। सत्ता के दलालों के हित में इसका संचालन किया जा रहा है। सत्ता के दलाल इसे संरक्षण दे रहे हैं। सत्ता के दलालों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है क्योंकि लोकतन्त्र निचले स्तर पर नहीं है। उनकी गहरी पकड़ को हटाने का एक

तरीका है कि सत्ता के दलालों द्वारा भरे गए रिक्त स्थान को खाली करके उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करके भर दिया जाए। जब एक बार एक सौ से पांच सौ मतदाताओं द्वारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर लिया जाएगा तब जनता से सत्ता केवल उतनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर पंचायत घर है न कि राज्य या देश की राजधानी जितनी दूरी पर है। व्यवस्था में सत्ता के दलालों की सभी भूमिकाओं को समाप्त करने के लिए, विधेयक में सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों के सीधे चुनाव की व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्येक मतदाता का अपना प्रतिनिधि होगा। वह प्रतिनिधि एक छोटे तथा भली प्रकार मान्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि वह लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो पुनः निर्वाचित हो जाएगा अन्यथा लोग उसे पदच्युत कर देंगे। मत की शक्ति कार्यान्वयन की शक्ति बन जाएगी। लोगों की इच्छा सत्ता के दलालों को अनावश्यक बना देगी।

आज लोकतांत्रिक निर्वाचित नेतृत्व का सुअवसर उन कुछ हजार व्यक्तियों तक सीमित है जो विधान सभा अथवा संसद में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। इस विधेयक का संविधान का एक हिस्सा बन जाने के पश्चात् भारी संख्या में देशव्यापी नेतृत्व क्षमता का सृजन का होगा। प्रत्येक पंचायती चुनाव में लगभग आधा करोड़ पुरुष और महिलाएं जिनमें से अधिकांश युवा होंगे, स्वयं को निर्वाचन-गणों के समक्ष समक्ष उनके आदेशों के पालन हेतु प्रस्तुत करेंगे। कुछ सफल होंगे और कुछ असफल रहेंगे। जो असफल रहेंगे उन्हें पांच वर्ष पश्चात् फिर अवसर प्राप्त होगा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक अनुपयुक्त प्रतिभा उपलब्ध है। अब हम उस प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। उस प्रतिभा की पुष्टि इस सभा के तथा राज्य सभा के हमारे साथियों के मतों द्वारा की जाएगी। इस प्रकार यह प्रतिभावान व्यक्ति हमारे देश को एक समृद्ध एवं शानदार भविष्य की ओर ले जायेंगे।

मानवता एवं संसाधनों की मूल्यवान सम्पति के सन्दर्भ में कोई भी देश हमसे अधिक धनी नहीं है। हमने उतनी प्रगति नहीं की जितनी कि करनी चाहिए थी क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े संसाधन का पोषण नहीं किया। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र के अधिकाधिक प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना सम्भव हुआ है। इससे देश में हलचल होगी। हमारे 600,000 गांवों में से प्रत्येक में, 5000 ब्लाकों में से प्रत्येक में, 400 जिलों में से प्रत्येक में पुरुषों और महिलाओं को लोकतन्त्र तैयार करेगा जिनका अनुभव बाद में राज्य स्तर पर विधान सभाओं और भारत की संसद के लिए उपलब्ध होगा।

हमारा प्रस्तावित संविधान संशोधन राज्य विधान सभाओं पर संवैधानिक आदेश लागू करता है। समुचित कानून बनाना राज्य विधान सभाओं का काम है ·····(व्यवधान)

प्रस्तावित पंचायती राज व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका के बारे में एक अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। इस संबंध में संविधान अत्यन्त स्पष्ट है। अनुच्छेद 154 (1) में कहा गया है कि "राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी।" अनुच्छेद 163 (1) में स्पष्ट किया गया है कि "राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।" और इसलिए संविधान में शब्द राज्यपाल का अर्थ राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद् की सहायता और सलाह से कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में है। इसका एक अपवाद है। इस अपवाद या उपबन्ध अनुच्छेद 163 के खंड (1) में दिया

गया है (व्यवधान) जो इस प्रकार है "उन बातों को छोड़कर जहां तक राज्यपाल···(व्यवधान)"

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं उद्धृत करता हूं :

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर···"

शब्द 'राज्यपाल' तथा 'राज्यपाल अपने विवेकानुसार' में अन्तर संवैधानिक नियम का इतना सुस्पष्ट मामला है कि इस मुद्दे पर किसी भ्रम का होना ही आश्चर्यजनक है। आखिर शब्द "राज्यपाल" संविधान में दर्जनों स्थानों पर आता है और कहीं भी उसका गलत अर्थ नहीं लगाया गया या गलत व्याख्या नहीं की गई।

हमें विश्वास है कि इस संसद में अपने निहित संवैधानिक कृत्यों के पालन में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल द्वारा कार्य करने और जहां कहीं संविधान के अनुसार ऐसी अपेक्षा हो अपने विवेकानुसार राज्यपाल द्वारा कार्य करने में कोई भ्रम नहीं होगा।

संसद तथा राज्य विधान मंडलों में लोकतन्त्र की स्थापना करते समय हमारे संस्थापकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की असमर्थताओं पर विशेष ध्यान दिया। कुल निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायती राज विधान बनाने के अधिकांश मामलों में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के गहन दौरे और अनेक पंचायती राज सम्मेलनों में पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत में यह बात पूरे जोर शोर से मेरे सामने रखी गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति केवल नेक इरादों से नहीं करवाई जा सकती। इस समय इसकी प्राप्ति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में दिए गए आरक्षणों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण करने भी जा सकती हैं।

मैं देख रहा हूं कि इस सभा का एक वर्ग विशेष इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है····(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है (व्यवधान) उन्हें मतलब भी नहीं है (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में एक व्यापक एवं उचित आशंका व्याप्त है कि यदि इन निकायों में उनके लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया तो पंचायती राज ग्रामीण सभ्रांत व्यक्तियों के हाथों उनके दमन का कारण बन जाएगा। देश के विभिन्न भागों में अनुभव····(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप इतने वर्षों तक क्या कर रहे थे ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम आपको जगा रहे हैं; यही हम कर रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों से प्राप्त अनुभव से हमने देखा है कि आरक्षण के अभाव में किस प्रकार निहित स्वार्थ सामंतवादी हित इन संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। (व्यवधान)

नियमित चुनाव न कराने से इन संस्थानों पर उनका अधिपत्य सुदृढ़ हो जाता है। लोगों का आदेश शोषण के साधन में बदल गया है।

प्रक्रिया के इस प्रकार विकृत होने को रोकने के लिए हमारे विधेयक में राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा गया है··· (व्यवधान)

मुझे यह जानकारी थी कि जब हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को लागू करना चाहेंगे तो कुछ समस्यायें सामने आएंगी किन्तु मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे यह आशा नहीं थी कि समस्या सभा के इस वर्ग की ओर से सामने आएगी। (व्यवधान)

स्पष्ट है, आज सत्ता के दलालों और सामंतवादी हितों का पर्दाफाश हो गया है। (व्यवधान)

प्रक्रिया को इस प्रकार विकृत होने से बचाने के लिए हमारे विधेयक में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्बन्द्ध पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को राज्य विधान सभाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विधेयक में संविधान के वर्तमान रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। हमारा प्रस्ताव है कि पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण हो। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही रोक-टोक को समझता हूं और समझता हूं कि इससे भी उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : पिछड़े वर्गों का क्या होगा ?

श्री राजीव गांधी : तीन ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके लिए हम संविधान में इस परिवर्तन को आवश्यक समझते हैं (व्यवधान)

पहला, महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग हैं और ग्रामीण भारत के आर्थिक जीवन के आधे से अधिक भाग में शामिल हैं। तथापि, यह लज्जाजनक है कि सम्पत्ति में उनका भाग तथा आय जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं कम है। किन्तु उनसे जो परिश्रम कराया जाता है वह आधे से भी अधिक है। दूसरे, घर की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी परम्परागत रूप से महिलाओं की रही है। वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी भारत की ग्रामीण महिलाओं की आदतों और उनके नजरिए में अन्तर्निहित हैं। पंचायती राज संस्थाओं में इन गुणों की सख्त जरूरत है। हमें विश्वास है कि पंचायतों में महिलाओं की संख्या अधिक होने से न केवल उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा बल्कि वे अधिक कुशल अधिक ईमानदार अधिक अनुशासित और अधिक जिम्मेदार होंगी। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) आप उन्हें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दें।

श्री राजीव गांधी तीसरे, यह भारत की महिलाएं ही हैं जो नानियों-दादियों तथा माताओं के रूप में भारत की प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं की निधान है। अगली पीढ़ी तक सर्वोत्कृष्ट मूल्यों, मापदण्डों और आदर्शों को पहुंचाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही है और इन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार के चढ़ाव उतार के बावजूद हमारी सभ्यता निरन्तर फलफूल रही है। यह नैतिक चरित्र का वह बल है जिसका संचार महिलाएं पंचायतों में करेंगी। अतः हमें उनका स्नेहपूर्ण स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की ओर से तो महिलाओं का स्वागत तक नहीं किया गया (व्यवधान)

अब मैं इस मामले के महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् अन्तरण और सुदृढ़ वित्त पर आता हूं। अन्तरण के लिए विधान बनाने के राज्यों ने अधिकार का सम्मान करते हुए हमने जानबूझ कर उनके अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं की है। हमारा केन्द्र से खिला शासन चलाने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु हम यह

आशा अवश्य करते हैं कि राज्य विधान-मण्डल इस विधेयक के उपबन्धों तथा इस संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून अवश्य बनाएं जो पंचायतों को शक्ति और अधिकार देने के लिए आवश्यक हो।

पहले राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदण्डों और शर्तों के ढांचे के भीतर योजनाएं तैयार करने की शक्ति, और अधिकार पचायतों का होगा। ये योजनाएं उच्च स्तर पर योजना प्रक्रिया के मूल आदानों में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की आवाज उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और वरीयताएं योजना के ढांचे का अंग बने। हमें ऊपर से लादी जाने वाली योजना का अंत करना होगा। हमें जमीन की वास्तविकता से दूर वांछनीय ऊंचाईयों पर निश्चित की जाने वाली प्राथमिकताओं को समाप्त करना होगा। हमें अधिभावकीय योजना को समाप्त करना होगा। हमें लोक योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी।

हमारे विधेयक की सीमा आर्थिक विकास के लिए योजना तक ही है। इससे पंचायतों पर सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। यह हमारे गांवों के जीवन पर रोमानी रंग नहीं चढ़ाएगा। वहां का जीवन कठोर है, श्रम साध्य है और कई प्रकार से शोषणकारी और दमनकारी है।

सत्ता के दलालों को सत्ता से बाहर करने, पंचायतें लोगों के हाथ में देने के लिए हम लोगों के ही प्रतिनिधियों पर यह दायित्व डालते हैं कि वे निर्धन हीन तथा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। आर्थिक विकास की प्रत्येक योजना के साथ सामाजिक न्याय की योजना जुड़ी होगी। आर्थिक विकास की किसी भी योजना पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक इसका सामाजिक न्याय का पहलू स्पष्ट नहीं होगा। यह घोषणा-पत्र हमारे गांवों को केवल समृद्ध बनाने का ही नहीं बल्कि उन्हें न्याय दिलाने का भी द्योतक है।

पंचायतों का दूसरा प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सौंपी गई विकास योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर कार्यान्वित करने का होगा। इन योजनाओं में कृषि और भूमि सुधार से लेकर सिंचाई और जल विभाजन प्रबन्ध जैसे ग्रामीण भारत के प्रमुख आर्थिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। उनमें पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य-पालन जैसे कार्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनमें ग्रामीण भारत के औद्योगिक कार्यकलाप शामिल किए जाने चाहिए। उनमें लघु वन उत्पाद भी शामिल होने चाहिए जो तमाम जनजातीय जनसंख्या की आय के प्रमुख साधन है। इसमें ग्रामीण भारत की दिन-प्रति दिन की जरूरत की चीजें जैसे आवास, पेयजल, ईंधन और चारा शामिल होने चाहिए। इस हस्तांतरण में, ग्रामीण भारत में संचार और विद्युत के आधारभूत ढांचे को शामिल किया जाना चाहिए।

हमने पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित विकास योजनाएं शामिल करने का सुझाव दिया है।

प्रस्तावित 11 वीं अनुसूची में पंचायतों को गरीबी निवारण कार्यक्रमों का प्रशासन सौंपने की अपेक्षा है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास का कार्य सौंपा जाएगा। हम राज्य विधान सभाओं से अनुरोध करेंगे कि वे सभी कमजोर और विकलांग वर्गों के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व पंचायतों

को सौंपे। हमारा विचार पंचायतों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी सौंपने का भी है जो कि सबसे कमजोर और निर्धनतम लोगों के जीवन की रक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आम स्वास्थ्य के लिए नितान्त आवश्यक है।

श्री अमल दत्ता : सार्वजनिक वितरण प्रणाली टूट रही है।

श्री राजीव गांधी : इसी लिए हम इसे उन्हें सौंप रहे हैं जो इसे चलाएंगे न कि राज्यों को जो इसे तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि पंचायतों को हमारे सामुदायिक जीवन का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र अर्थात् सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव सौंपा जाए।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ग्यारहवी अनुसूची एक लम्बी सूची नहीं है। हमें आशा है कि राज्य पचायतों को अधिकाधिक शक्तियां और अधिकार देंगे ताकि स्थानीय स्तर पर जो कार्य किया जा सकता है वह उसी स्तर पर हो न कि ऊपर के स्तर पर (व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) भूमि सुधारों के बारे में आप क्या कहते हैं (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण के बाद सबसे बड़ा खतरा इन शक्तियों का उनके हाथ से निकल कर पंचायती राज प्रणाली से बाहर गठित और राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में अर्पित अन्य निकायों के पास चला जाना है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने, चाहे वे कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी, जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की है पंचायती राज प्रणाली से बाहर निकायों का गठन करके इसके प्रभाव को कमजोर किया है क्योंकि निर्णय लेने संबंधी वास्तविक शक्तियां इन्हीं निकायों के पास हैं और पंचायती राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, या जैसा कि कर्नाटक में हुआ है एक विधायक को तालुका पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है।

हमारे इस विधेयक का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों को दी गई शक्तियां पंचायतों के भीतर ही रहे और इससे बाहर न जाएं। हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी विकास एजेन्सियों को पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे में लाया जाए और निर्वाचित अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। इस बात के दो आधारभूत कारण हैं कि जिला तथा उप-जिला स्तर पर प्रशासन लोगों के प्रति इतना उदासीन क्यों है। एक बात तो यह है कि जिला प्रशासन बहुत-सी एजेन्सियों में बटा हुआ है, जो राज्य सरकारी के प्रति जवाब देह हैं और जिनका जिला स्तर पर आपस में कोई तालमेल नहीं है दूसरा, केन्द्रीय प्वायंट के रूप में कार्य करने वाले निर्वाचित प्राधिकारी का अभाव है ··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : क्या यह चुनाव घोषणा पत्र है ?····(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह पचायतों के चुनावों का घोषणा-पत्र है (व्यवधान) हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह भारत के लोगों के लिए घोषणा-पत्र है····(व्यवधान) महोदय, यह भारत के लोगों को शक्ति देने तथा सत्ता के कुछ दलालों, जो इतने उत्तेजित हो रहे है, से शक्ति छीनने का घोषणा पत्र है (व्यवधान)

महोदय, इस सभा को याद होगा कि हमारी सरकार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी एक दल को प्राप्त सर्वाधिक बहुमत से चुन कर सत्ता में आई थी। सरकार के प्रमुख के रूप में मैंने कई संरचनात्मक परिवर्तन करने की शपथ ली थी। मैंने बहुत जल्द यह महसूस किया कि यह व्यवस्था

हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इस व्यवस्था में बहुत से ढांचे थे। इस व्यवस्था में थोड़ी बहुत छेड़-छाड़ करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एक योजना बद्ध परिवर्तन आवश्यक था। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य, हमारे 1986 के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 वें सूत्र, जिसमें जनता को उत्तरदायी प्रशासन देने का वायदा किया गया है, को पूरा करने का तरीका ढूंढने के लिए मेरी तालाश है। मेरे अनुरोध पर कार्मिक-विभाग ने 'उत्तरदायी-प्रशासन संबंधी कई कार्यशालायें' आयोजित की जिनमें देश के सभी जिलाधीशों, उपायुक्तों और-जिला समाहर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। मैंने उनके साथ 20 घंटे चर्चा की थी।

इनमें यह बात सामने आयी कि केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अथवा शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना करके अथवा शिकायत खिड़कियां खोलकर प्रशासन को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक कदम सत्ता के दलालों के लिए केवल एक और सत्ता केन्द्र हथियाने के लिए मार्ग-प्रशस्त करेगा। उत्तरदायी प्रशासन की अनिवार्य शर्त प्रतिनिधि प्रशासन है जोकि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो। ग्रामीण भारत में उत्तरदायी प्रशासन वास्तविक पंचायती राज के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। हमारे विधेयक का उद्देश्य इसी को प्राप्त करना है।

प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण के साथ-साथ सुदृढ़ वित्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। विगत में कई बार पंचायती राज ने वित्त के बगैर कार्य किया है, निधियों के बिना उत्तरदायित्व सम्भाले हैं और बगैर किसी साधन के कर्तव्य निभाये है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य विधान मण्डलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे करों के राजस्व के माध्यम से जो कि उनके द्वारा विनियोजित है या उन्हें सौंपी गयी है पंचायतों की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित करें तथा इसके साथ-साथ राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायतानुदान दें।

12.00 मध्याह्न

राज्य विधान मण्डलों और कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्धारित करने में सहायता करने, के लिए कौन से करों की पंचायतों को वसूली सौंपी जाय या विनियोजन के लिए अनुमति ली जाए तथा कितनी सहायतानुदान की राशि पंचायतों को दी जाये, समुचित सिफारिशें करने के लिए विधेयक में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है।

मैं उन करों को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दूंगा जो पंचायतों द्वारा लगाये जाएंगे एकत्र किए जायेंगे तथा विनियोजित किये जायेंगे। पंचायतों मे वित्तीय उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी भावना यही होनी चाहिए कि वे उस धन को यथासम्भव अपने पास ही इकट्ठा रखें जिसकी वसूली उन्होंने अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए की है। संयुक्त अनुदान स्थानीय स्तर के नियोजन के लिए होते हैं। इनके विनियोजन का प्राधिकार उन्हें स्थानीय स्तर के नियोजन के लिए उत्तरदायी तक सीमित रहने की प्रवृत्ति थी। हम आशा करते हैं कि राज्य विधानमण्डल इससे और आगे जाएंगे और उन करों, शुल्कों पथ करों और फीसों का पता लगाएंगे जो पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के रूप में हम स्वयं जो कुछ करने के लिए तैयार हैं उससे अधिक करने के लिए हम राज्य मंडलों से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से एक शुरूआत हुई है। 80 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही है। (व्यवधान) हमारा इस

सिद्धान्त को अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर लागू करने का प्रस्ताव है । अपने स्वयं के विकास में लोगों को शामिल करने के लिए और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है । भ्रष्टाचार और भाई भतीजा वाद को कम करने के लिए इससे बेहतर और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है । जिस व्यवस्था का हमने प्रस्ताव किया है वह एक पारदर्शी व्यवस्था है । एक गांव में अधिकांश मतदाता विकास की योजनाओं के भावी लाभ भोगी होते हैं । प्रत्येक भावी लाभ भोगी को पता होना चाहिए कि क्या योजनायें उपलब्ध हैं, योजना में कितना धन लगा है । क्या और कैसे धन खर्च किया जा रहा है । कोई भी पंच या सरपंच जो लोगों को धोखा देता है वह लोगों द्वारा निकाला दिया जायेगा । उसके लिए इस भ्रष्टाचार के परिणामों से भागने का कोई रास्ता नहीं है ।

अब मैं देश के उन भागों की बात करूंगा जिन्हें हम इस व्यवस्था से मुक्त रख रहे हैं या जिनके सम्बन्ध में सुधार करने हेतु विशेष प्रावधान किये गए हैं । पूर्वोत्तर में एक छितरी आबादी वाला आदिवासी राज्य है—जिसे बगैर किसी सुधार के पंचायती राज को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है । यह अरुणाचल प्रदेश राज्य है । विधेयक में इस बात को मान्यता दी गयी है कि पूर्वोत्तर के अन्य तीन राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जहां पंचायतीराज जैसी स्वायत शासन वाली पारम्परिक व्यवस्थायें हैं : उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए । वस्तुतः शेष देश को नागालैंड के ग्राम विकास बोर्डों का अध्ययन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए । इन तीन राज्यों में पारंपरिक व्यवस्था को बने रहने दिया जायेगा ।

इसी तरह छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में, जहां स्वायत जिला परिषदें स्थापित की गयी है, हम नहीं चाहते हैं कि वहां इतने ध्यान से बनाई गई व्यवस्था का छेड़ा जाए । इसी सिद्धान्त पर हम इस विधेयक को मणिपुर के जिला परिषद क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय जिले में गोरखा पर्वतीय परिषद के क्षेत्रों पर लागू नहीं करेंगे ।

जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है विधेयक में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के किसी एक भाग या पूरे क्षेत्र में विधेयक के उपबन्धों को निर्धारित कर सकता है, विस्तारित कर सकता है या उसे उपांतरित कर सकता है । यह इस तरह से बनाया गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि यह निकोबार द्वीपसमूह लक्ष्यद्वीप और पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों की पारम्परिक या नवजात संस्थानों पर गलत प्रभाव न डाले तथा दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष विशिष्टिताओं को ध्यान में रखा जाये ।

इसी तरह पांचवी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है (और अपने मन्त्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह पर नहीं) कि वह ऐसी शर्तों का निर्धारण करे जिससे पंचायती राज इन क्षेत्रों में भी लाया जा जा सके ।

महोदय, विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही संविधान के प्रस्तावित नौवें भाग के अनुरूप सभी राज्य विधान मण्डल अपने-अपने राज्य के कानून बनायें । तथापि हम यह बात मानते हैं कि अधिकांश राज्यों में, कुछ में इसी वर्ष हाल ही में, पंचायतराज संस्थायें चुनी गयी हैं । विधेयक में इन पंचायतों को उनकी अवधि के समाप्त होने तक जारी रहने का प्राधिकार दिया गया है यदि राज्य विधान मण्डल अन्यथा फैसला न करें । हम आशा करते हैं कि इस विधेयक के पारित होने तथा राज्य विधान का इसके उपबन्धों के अनुरूप

मिलान करने के बीच के अन्तराल का उपयोग राज्य सरकारें नयी व्यवस्था के कार्यकरण पर गहराई से विचार करने में करेंगी।

पंचायतों को उनकी आवश्यकतानुरूप कर्मचारी देने होंगे। हम इस बात का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिखी जायें बल्कि जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और उनको बदलते परिवेश में नए उत्तरदायित्वों को निभाने के लि० प्रेरित करना होगा। हमें जिला स्तर पर अधिकारियों और निर्वाचित पंचायतों के बीच पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना का निर्माण करना होगा। हमारे लोकतन्त्र में राज्यों और केन्द्र में अन्य स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित प्राधिकारियों ने आपसी सहयोग से मिलकर कार्य करना सीख लिया है। इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों और पंचायतों के बीच भी होने चाहिए हमें आशा है कि राज्य सरकारें जिला प्रशासन के विनियमित और विकास कार्यों के बीच दरार पैदा करने का लोभ का प्रतिरोध करेंगी। इसमें समन्वय होना चाहिए क्योंकि यह तो केवल विकासोन्मुख प्रशासन के द्वारा ही हो सकता है कि एक विनियमन अधिकारी कानून और व्यवस्था के संकट को पहले से भांपने या इसके होने पर ठीक करने के लिए आवश्यक सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

हम इस बात के प्रति बहुत सजग हैं कि यह विधेयक ग्रामीण भारत में स्वयं को लोकतन्त्र तथा निचले स्तर पर विकास तक ही सीमित रखे। हमें ऐसी ही चिन्ता देश में बढ़ती हुई शहरी और अर्धशहरी जनसंख्या के सम्बन्ध में करनी चाहिए। इस बात के लिए सरकार का लोक सभा के अगले सत्र में एक प्रमुख विधान लाने का प्रस्ताव है।

हम अपना ध्यान सहकारी आन्दोलन को नया रूप देने उसका नवीकरण और कायाकल्प करने पर देंगे, जिसे पंडित जी ने हमेशा पंचायती राज का एक आवश्यक अंग माना है।

हम इस सभा में इस विधेयक को बगैर किसी पूर्वोदाहरण के काफी विचार विमर्श और राष्ट्रीय बहस के उपरान्त लाये हैं। हमने सारे देश की पंचायती राज संस्थाओं, के दस हजार से अधिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। हमने पंचायती राज के सम्बंध में भारत सरकार के जिला अधिकारियों, मुख्य संचिवों और संचिवों सहित विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। हमने पंचायती राज मंत्रियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें की हैं। हमने यह वाद विवाद राजनैतिक स्तरों, पर पार्टी मंचों पर और संसदीय परामर्शदात्री समिति में भी किया है।

हमारे प्रस्ताव आपके सामने हैं लेकिन हमारे विमर्श बन्द नहीं है। आने वाले महीनों में हम आशा करते हैं कि इन प्रस्तावों के बारे में सारे देश में व्यापक वाद विवाद होगा। हम इस तरह की चर्चाओं को विपक्षी दलों और मुख्य मंत्रियों के साथ करने के लिए तैयार हैं। हम निःसन्देह सभा में रखे गये सुझावों पर पूरा ध्यान देंगे। हम सर्वसम्मति चाहते हैं लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के वास्ते लोकतन्त्र के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के विकास के लिए लड़ेंगे। हम भारत की जनता, के बारे में सबसे अधिक चिन्तित हैं। जो प्रस्ताव हम सभा के समक्ष रखते हैं वे वास्तव में हमारे प्रस्ताव नहीं होते हैं वे भारत की जनता के प्रस्ताव होते हैं। हमने पंचायती राज का यह अनुभव देशभर से एकत्र किया है, अच्छा अनुभव तथा बुरा अनुभव, कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही सरकारों का अनुभव और अन्य दलों द्वारा

चलाई जा रही राज्य सरकारों का अनुभव हमारे पास है। इस अनुभव को एकत्र करके इसे मथ दिया गया है। इस मंथन से अमृत निकला है जो हम बांटना चाहते हैं।

हमारा प्रजातन्त्र उस अवस्था में पहुंच गया है जहां लोगों की पूर्ण भागीदारी में और अधिक देरी करना असहनीय है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हम इस विधेयक को हड़बड़ी में में पारित कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है। कई वर्षों से हम पंचायती राज पर कई विभिन्न स्तरों पर सुप्रपारित विचार-विमर्श करते आ रहे हैं। इस देश के जन जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारी मंशाओं से अनभिज्ञ नहीं है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये अपने भाषण में इस विषय पर प्रमुख कानून बनाने का उल्लेख किया था जो सरकार आगे लाना चाहती थी। अब हमने वह वायदा पूरा किया है। जो लोग इसे चुनावी आडम्बर कह कर इसकी निन्दा करते हैं, वे ऐसे लोग है जिनके सामन्तवादी हित लोगों के पास सत्ता पहुंचने पर समाप्त हो जायेंगे। (व्यवधान) महोदय, मैं जब कभी सत्ता के दलालों और सामन्तवादी हितों की बात करता हूं तो इसे हमारे कुछ दोस्तों को गहरी चोट पहुंचती है और उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं परन्तु यह लड़ाई जनता को मजबूत बनाने के लिए है और विपक्ष द्वारा कही जाने वाली हर बात के बावजूद हम यह लड़ाई लड़ेंगे।

महोदय, हमें जनता पर भरोसा है। हमें जनता पर विश्वास है। जनता को अपने भाग्य तथा देश के भाग्य का निर्णय करना चाहिए। भारत की जनता के लिए हमें अधिक से अधिक प्रजातन्त्र तथा सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। सत्ता के दलालों का खात्मा होना चाहिए। हमें जनता को सत्ता सौंपनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करते समय अपने माननीय प्रधान मंत्री को काफी लम्बा वक्तव्य देने की अनुमति दी है। महोदय, हमने यह नोटिस दिया है कि हम विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करेंगे। महोदय हमारे नोटिस आपके पास लम्बित पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, वाद-विवाद पर अनुमति देने के लिए हम सभा का सत्र कल तक के लिए बढ़ा सकते हैं और हम कल इस पर बहस कर सकते हैं।

हमनें जानबूझ कर इस सत्र में बहस नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि हमने सोचा था कि मध्यवर्ती अवधि में विपक्ष के लिए बहस करने हेतु पर्याप्त समय होगा क्योंकि हम कांग्रेस दल के लोग इस पर दो वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष ने जनता को अनदेखा कर दिया है। इसलिए हमने सोचा है कि हम अगले सत्र में इस पर बहस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई सदस्यों से नोटिस मिले हैं जो विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करना चाहते हैं और मैं प्रत्येक दल से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं। कृपया नई परम्परा शुरू मत कीजिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, जब कभी किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई दल पूर्णतया विरुद्ध होता है। कुछ उपबन्ध होते हैं जिनके बारे में कोई